दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार,24 मार्च,2003/चैत्र 03,1925 (शक)

संख्या : ~~90~~ 96

1. 2.00 बजे **नव शक संवत वर्ष की शुभकामनाएं :** माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को नव शक संवत वर्ष की शुभकामना दीं ।

शोक संवेदना प्रस्ताव : सदन द्वारा शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में **शहीदों को श्रद्धांजलि** अर्पित की गई ।

सदन द्वारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनानी एवं राजनीतिज्ञ स्व. **श्री ब्रज मोहन** को श्रद्धांजलि अर्पित की गई । सदन द्वारा इनके सम्मान में दो मिनट का मौन भी धारण किया गया ।

2. 2.12 बजे **प्रश्न काल :** तारांकित प्रश्न संख्या : 62 से 66 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये । तारांकित प्रश्न संख्या- 61 तथा 67 से 80 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या- 121 से 172 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

3. 3.00 बजे **सदस्य की गिरफतारी :** अध्यक्ष महोदय ने **श्री शोएब इकबाल,**विधायक की गिरफतारी एवं रिहाई के संबंध में सदन को सूचित किया ।

4 3.01 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात :**

1. मुख्य मंत्री ,श्रीमती शीला दीक्षित ने निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन पटल पर रखीं :-
दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों की सूची में संशोधन करने संबंधी दिनांक 19.4.2002 की अधिसूचना ।
ii) दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों की सूची में संशोधन करने संबंधीं दिनांक 1.7.2002 की अधिसूचना ।
दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों की सूची में संशोधन करने संबंधी दिनांक 15.11.2002 की अधिसूचना ।
iii) सूचना अधिकार के लिये राज्य परिषद की स्थापना करने संबंधी दिनांक 2.12.2002 की अधिसूचना ।
iv) सूचना अधिकार के लिये राज्य परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन ।

2. **श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री** ने बुलियन पर बिक्री कर के संबंध में 14 फरवरी,2003 को जारी अधिसूचना की प्रति सदन पटल पर रखी :-

3. **श्री अजय माकन,परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री** ने निम्नलिखित के मध्य शेयर अधिग्रहण करार (एम.ओ.यू.)की प्रति सदन पटल पर रखी :-

i. बीएसईएस लिमिटेड,दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड और मध्य-पूर्व दिल्ली वितरण कंपनी लिमिटेड ।
ii. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड,दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड और उत्तर-पश्चिम दिल्ली वितरण कम्पनी ।
iii. बीएसईएस लिमिटेड,दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ।

5 3.05 बजे **श्री अजय माकन,परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री** ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्रों के संबंध में एक **वक्तव्य** दिया ।

3.17 बजे श्री सुशील चौधरी ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में पीने के गन्दे पानी की समस्या की ओर दिलाया । मुख्य मंत्री ने जवाब दिया । तथापि, अध्यक्ष महोदय द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी सदस्य ने अपना आसन ग्रहण नहीं किया,अतः उन्हें सदन से बाहर जाने के लिये कहा गया ।

6 3.30 बजे **विशेष उल्लेख**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-280 के अंतर्गत मामले उठायें :-

1. श्री नरेश गौड़,शहरी विकास मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।
2. श्री वीर सिंह,समाज कल्याण मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।

3. श्री सुरेन्द्र कुमार,विकास मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।
4. श्री भीष्म शर्मा
5. श्री रूप चन्द,मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।
6. श्री नन्द किशोर गर्ग
7. श्री अशोक सिंह,मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।

4.00 बजे सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।

7 **4.36 बजे** सदन पुनः समवेत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि श्री जय भगवान अग्रवाल,श्री हरशरण सिंह बल्ली और श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा दिये गये विशेष उल्लेख के मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये।

8 **4.37 बजे** **समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

श्री नसीब सिंह ने लोक लेखा समिति का **दसवां प्रतिवेदन** सदन में प्रस्तुत किया ।

9 **4.38 बजे** **समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति**

1. श्री चरण सिंह कंडेरा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया - कि यह सदन दिनांक 21 मार्च,2003 को सदन में प्रस्तुत सामान्य प्रयोजन समिति के **प्रथम प्रतिवेदन** से सहमत है ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

2. डॉ. जगदीश मुखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया - कि यह सदन दिनांक 21 मार्च,2003 को सदन में प्रस्तुत सरकारी आश्वासन समिति के **छठे प्रतिवेदन** से सहमत है ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

विधायी प्रस्ताव

10 **4.36 बजे** **विधेयक पर विचार एव पारित करना**

मुख्य मंत्री,श्रीमती शीला दीक्षित ने सदन की अनुमति से प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के मुख्य सचेतक वेतन एवं भत्ते विधेयक,2003 (2003 का विधेयक संख्या-1) पर विचार किया जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. डॉ. जगदीश मुखी,अपना संशोधन भी प्रस्तुत किया
2. श्री नन्द किशोर गर्ग, ,अपना संशोधन भी प्रस्तुत किया
3. श्री सुशील चौधरी, ,अपना संशोधन भी प्रस्तुत किया
4. श्री रविन्द्र नाथ बंसल, ,अपना संशोधन भी प्रस्तुत किया
5. श्री मोहन सिंह बिष्ट, ,अपना संशोधन भी प्रस्तुत किया
6. श्री साहब सिंह चौहान
7. श्री राम भज

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।
विधेयक पर खण्डवार विचार किया गया :
निम्नलिखित संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिये गये :-

1. श्री नन्द किशोर गर्ग
   कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ।
2. श्री सुशील चौधरी:
   श्री मोहन सिंह बिष्ट:
   डॉ. जगदीश मुखी:

क. दीर्घ शीर्षक में संशोधन कि बहुमत वाले दल के शब्दों के स्थान पर 1/10 से अधिक संख्या वाले दलों के प्रतिस्थापित किया जाये ।

ख. खण्ड-2 ए में संशोधन : बहुमत वाले दल के शब्दों के स्थान पर 1/10 से अधिक संख्या वाले दलों के

प्रतिस्थापित किया जाये ।

श्री रविन्द्र नाथ बंसल ने अपना निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:-
क. विधेयक के दीर्घ शीर्षक में संशोधन - कि बहुमत वाले दल के मुख्य सचेतक शब्दों के स्थान पर सत्तापक्ष का मुख्य सचेतक और मुख्य विपक्षी दल का मुख्य सचेतक शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये ।
ख. खण्ड-2 ए में संशोधन : बहुमत वाले दल के शब्दों के स्थान पर सत्ताधारी दल एवं मुख्य विरोधी दल शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये ।
श्री रवीन्द्र नाथ बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मतदान के लिये रखा गया जो ध्वनिमत से गिर गया ।

खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
खण्ड-3 से खण्ड-9 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
खण्ड-1,प्रस्तावना और शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के मुख्य सचेतक वेतन एवं भत्ते विधेयक,2003 (2003 का विधेयक संख्या-1) को पारित किया जाये ।
प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । विधेयक पारित हुआ ।

11 5.00 बजे **अल्पकालिक चर्चा :** डॉ. जगदीश मुखी ने दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली पर अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ की ।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह ने उल्लेख किया कि चूंकि आयक्त,दिल्ली नगर निगम चर्चा के समय सदन में उपस्थित नहीं है, अतः पूर्व में पचिलित प्रथाओं को मददेनजर रखते हुए चर्चा को स्थगित कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहाकि चर्चा के समय अधिकारियों को अवश्य ही उपस्थित होना चाहिये और उन्होंने शहरी विकास मंत्री डॉ. ए.के.वालिया को निदेश दिया कि आयुक्त,दिल्ली नगर निगम को सदन में उपस्थित होने के लिये कहें ।

शहरी विकास मंत्री ने सदन को सूचित किया कि आयुक्त,दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति की बैठक में व्यस्त हैं ।

सदस्य इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और आयुक्त को सदन में उपस्थित होने की बात पर जोर देते रहे ।

5.10 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित किया ।

5.27 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ ।**

5.30 बजे चूंकि आयुक्त सदन में उपस्थित नहीं हुए और सदस्य उनके सदन में उपस्थित होने की अपनी बात पर अडिग रहे, अतः अध्यक्ष महोदय ने सदन को दिनांक 25 मार्च,2003 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया ।

दिल्ली,
24 मार्च,2003

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART – I

(Brief record of proceedings)

Monday 24th March 2003/ Chaitra 03, 1925 (Saka)

No. ~~90~~ 96

1 2.00 PM **New Year Greetings:** The Chair greeted the Members on the occasion of New Year (Saka Calendar).

2 **Obituary References:** The House paid tributes to the freedom fighters on the occasion of the "Shahidi Diwas"
Obituary reference was also made on the passing away of Shri Brij Mohan, veteran freedom fighter and political leader.
The House observed two minutes silence as a mark of respect towards the departed souls.

3 2.12 PM **Question Hour:**
Starred Questions 62 to 66 were asked and replied. Replies to Starred Questions 61 and 67 to 80 and Unstarred Questions 121 to 172 were laid on the Table.

4 3.01 PM **Papers laid on the Table:**

1. Chief Minister, Smt. Sheila Dikshit laid copies of the following Notifications:
   - i) Notification dated 19.4.2002 to amend the list of the Competent Authorities under the Delhi Right to Information Act.
   - ii) Notification dated 1.7.2002 to amend the list of the Competent Authorities under the Delhi Right to Information Act.
   - iii) Notification dated 15.11.2002 to amend the list of the Competent Authorities under the Delhi Right to Information Act.
   - iv) Notification dated 2.12.2002 regarding establishment of State Council for Right to Information.
   - v) Annual Report of the State Council for Right to Information.

2. Shri Mahender Singh Saathi, the Minister of Finance laid a copy of the Notification dated 14th February 2003 regarding sales tax on Bullion.

3. Shri Ajay Maken, Minister of Transport and Power laid a copy of the Share Acquisition Agreements (MOUs) between the
   - i) The BSES Limited, The Delhi Power Company Limited., and the Central-East Delhi Distribution Company Limited.
   - ii) The Tata Power Company Ltd, The Delhi Power Company Limited., and the North North-West Delhi Distribution Company Limited.
   - iii) The BSES Limited, The Delhi Power Company Limited and the South-West Delhi Electricity Distribution Company Limited.

5 3.05 PM Shri Ajay Maken, Minister of Transport and Power made a statement regarding "Pollution Under Control" certificates.

3.17 PM Shri Sushil Choudhary drew the attention of the Chair towards the problem of impure drinking water in his Constituency. The Chief Minister replied. However as the Member refused to resume his seat in spite of the Chair's directions, he was asked to withdraw from the House.
The Leader of the Opposition requested that the Member be allowed to return. The request was acceded to.

6 3.30 PM **Special Mention (Rule 280):** The following Members raised matters under Rule 280:

1. Shri Naresh Gaur (Minister of Urban Development intervened)
2. Shri Veer Singh (Minister of Social Welfare intervened)
3. Shri Surender Kumar (Minister of Development intervened)
4. Shri Bheeshm Sharma
5. Shri Roop Chand (The Chief Minister intervened)
6. Shri Nand Kishore Garg
7. Shri Ashok Singh (The Chief Minister intervened)

4.00 PM **House Adjourned for Tea break.**

7 4.36 PM **House reassembled.**
The Chair stated that the Special Mentions of Shri Jai Bhagwan Aggarwal, Shri Harsharan Singh Balli and Shri Mohan Singh Bisht be treated as read.

8 4.37 PM **Presentation of Reports:**
Shri Naseeb Singh presented **Tenth Report of the Public Accounts Committee.**

9 4.38 PM **Adoption of Reports:**
1. Shri Charan Singh Kandera moved the following Motion: "that this House agrees to the First Report of the **General Purposes Committee** presented to the House on 21st March 2003."
The Motion was put to vote and adopted.

2. Dr. Jagdish Mukhi moved the following Motion: "that this House agrees to the Sixth Report of the **Committee on Government Assurances** presented to the House on 21st March 2003."
The Motion was put to vote and adopted.

Legislative Proposal

10 4.39 PM **Consideration and Passing of Bill:**

The **Chief Minister, Smt. Sheila Dikshit** moved that the **"The Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Bill, 2003 (Bill No.1 of 2003)"** be taken into consideration.
The Motion was put to vote and adopted.
The following Members participated in the debate.
1. Dr. Jagdish Mukhi
2. Shri Nand Kishore Garg
3. Shri Sushil Choudhary
4. Shri Ravinder Nath Bansal
5. Shri Mohan Singh Bisht
6. Shri Sahab Singh Chauhan
7. Shri Ram Bhaj

The Bill was considered clause-wise.
The following amendments were withdrawn with the leave of the House:
I. Shri Nand Kishore Garg:
"That the Bill be referred to the Select Committee of the House"

II. Shri Sushil Choudhary
Shri Mohan Singh Bisht
Dr. Jagdish Mukhi:

1. Amendment in the **Long Title** of the Bill: "The words 'majority party' may be substituted with the words 'having more than 1/10th strength'.
2. Amendment in Clause 2(a): "The words 'majority party' may be substituted with the words 'parties having more than 1/10th strength'.

Shri Ravinder Nath Bansal moved the following amendment:
1. Amendment in the **Long Title** of the Bill: "The words 'Chief Whip of the majority party' may be substituted with the words 'Chief Whip of the Ruling party and the Chief Whip of the main Opposition party.'

2. Amendment in Clause 2(a): "The words 'majority party' may be substituted with the words 'ruling party and main opposition party.'

The Amendment of Shri Ravinder Nath Bansal were put to vote and defeated by voice-vote.

The Chief Minister moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted unanimously.

11 5.00 PM **Short Duration Discussion:**

Dr. Jagdish Mukhi initiated discussion on the working of the Municipal Corporation of Delhi.

Shri Tarvinder Singh Marwah drew the attention of the Chair towards the fact that the Commissioner (MCD) was not present in the Officers Gallery as was the practice.

The Chair stated that it was an established practice of the House that the concerned officers were to be invariably present when discussion on their Departments were being taken up.

5.10 PM To enable the Officer to be present the Chair **adjourned the House for fifteen minutes.**

5.27 PM **House reassembled.**

However as the MCD Commissioner was not present the Members insisted that the discussion be taken up in his presence only.

5.29 PM **The Chair adjourned the House up to 2.00 PM of 25th March 2003.**

Delhi.
24th March 2003

Siddharath Rao
Secretary